

मध्यप्रदेश विधान सभा



फरवरी-मार्च, 2017 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2017 (फाल्गुन 30, 1938)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री ओमप्रकाश धुर्वे, श्रम मंत्री, भवन एवं अन्य संनिर्माण (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (क्रमांक 27 सन् 1996) की धारा 27 की उपधारा (5) सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 270 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री पारस चंद्र जैन, ऊर्जा मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर (म.प्र.) का चतुर्दश वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(3) श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री सहकारिता, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2015 (क्रमांक 10 सन् 2015) की धारा 58 की उपधारा (1) (दो) के खण्ड (घ) की अपेक्षानुसार -

(क) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2015-2016,

(ख) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित, भोपाल (म.प्र.) का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2015-2016,

(ग) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2015-2016, तथा

(घ) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2015-2016

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) सुश्री हिना लिखीराम कावरे, सदस्य, बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र के वनग्राम बोदालझोला में मूलभूत सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(2) श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य, नागदा खाचरौद क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध नहीं होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सभापति, लोक लेखा समिति का तीन सौ छप्पन वां से चार सौ इक्कीस वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति.

- (1) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के कछार ढाना से ग्राम बिजोरी गुमाई तक का मार्ग स्वीकृत किये जाने,
- (2) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम तेन्दूखेड़ा से केसली मार्ग पर अधिग्रहण की गई जमीन का मुआवजा दिलाये जाने,
- (3) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम नालबंदी से बरखेड़ी के मध्य अजनार नदी पर पुल निर्माण किये जाने,
- (4) श्री अनिल जैन, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम धमना के हाई स्कूल का हायर सेकेन्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (5) श्री पन्नालाल शाक्य, सदस्य, गुना जिले के ग्राम तरावटा से रेसाई तक सड़क निर्माण किये जाने,
- (6) श्री सुशील कुमार तिवारी, सदस्य, जबलपुर जिले के पनागर के बिगड़े हुये हैण्डपंपों का सुधार कराये जाने,
- (7) श्री अरूण भीमावद, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम झोकर में धनवंतरी टेकरी मंदिर का जीर्णोद्धार किये जाने,
- (8) श्री मुकेश नायक, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम करिया की माध्यमिक शाला में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किये जाने,
- (9) श्री प्रहलाद भारती, सदस्य, शिवपुरी जिले के पोहरी को नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने,
- (10) कुं. हजारीलाल दांगी, सदस्य, राजगढ़ जिले की तहसील खिलचीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जीरापुर में महिला चिकित्सकों की पदस्थापना किये जाने,

- (11) श्री आर. डी. प्रजापति, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम बिलहरी, कटिया एवं राजापुर के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (12) डॉ. मोहन यादव, सदस्य, उज्जैन शहर के क्षीरसागर स्टेडियम में ऐस्ट्रो टर्फ बिछाये जाने,
- (13) श्री वीरसिंह पंवार, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम मदउखेड़ी से वीरपुर तक रोड एवं पुलिया निर्माण किये जाने,
- (14) श्री लखन पटेल, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम सतपारा से जगथर तक मार्ग निर्माण स्वीकृत किये जाने,
- (15) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सदस्य, मण्डला जिले के ग्राम मोहगांव सहित बुढनेर एवं नदी पर स्टापडेम/पुल का निर्माण किये जाने,
- (16) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के रायपुर कर्चुलियान के बाजार की ओर जाने वाली सड़क को डामरीकृत किये जाने,
- (17) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम सुखेडा के पुल को ऊँचा कर निर्माण किये जाने,
- (18) श्रीमती प्रमिला सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम उधिया से छाता तक डामरीकृत मार्ग बनाये जाने,
- (19) पं. रमेश दुबे, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम कुड्डम में "कुड्डम नाला" पर जलाशय निर्माण किये जाने,
- (20) श्री रामपाल सिंह (व्यौहारी), सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम बनासी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (21) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम कुम्हड़ी से मोटा मनुरिया तक सड़क बनाये जाने,
- (22) श्री चम्पालाल देवडा, सदस्य, देवास जिले के ग्राम उदयनगर में बस स्टेण्ड व मार्केट का निर्माण किये जाने,
- (23) श्री प्रताप सिंह, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम ससनाकलां के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (24) श्री मुकेश पण्ड्या, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम देहरा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (25) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम चकरदा (हटा) में नाले पर स्टापडेम का निर्माण किये जाने,
- (26) श्री कैलाश चावला, सदस्य, नीमच जिले की मनासा नगर पंचायत के 29 ग्रामों में चम्बलेश्वर बांध से पेयजल व्यवस्था किये जाने,
- (27) श्री अमर सिंह यादव, सदस्य, राजगढ़ जिले के तंवर बाहुल्य क्षेत्र के शासकीय स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने, के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य.

- (1) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वेट संशोधन (विधिमाम्यकरण) विधेयक, 2017 (क्रमांक 2 सन् 2017) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (2) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 3 सन् 2017) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

7. वर्ष 2016-2017 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन.

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, वर्ष 2016-2017 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

8. वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः).

निर्धारित
समय

2 घण्टे
30 मि.
(शेष 1 घण्टा
55 मि.)

- | | | |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------|
| (1) | मांग संख्या – 23 | जल संसाधन |
| | मांग संख्या – 28 | राज्य विधान मण्डल |
| | मांग संख्या – 32 | जनसंपर्क |
| | मांग संख्या – 45 | लघु सिंचाई निर्माण कार्य |
| | मांग संख्या – 57 | जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं. |
| (2) | मांग संख्या – 11 | वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार |
| | मांग संख्या – 25 | खनिज साधन. |
| (3) | मांग संख्या – 24 | लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल |
| | मांग संख्या – 29 | विधि और विधायी कार्य |
| | मांग संख्या – 67 | लोक निर्माण कार्य-भवन. |
| (4) | मांग संख्या – 55 | महिला एवं बाल विकास. |
| (5) | मांग संख्या – 43 | खेल और युवक कल्याण |
| | मांग संख्या – 51 | धार्मिक न्यास और धर्मस्व. |
| (6) | मांग संख्या – 13 | किसान कल्याण तथा कृषि विकास |
| | मांग संख्या – 54 | कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा. |

भोपाल :
दिनांक : 20 मार्च, 2017

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.